कोर्ट केस/अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या- 3281/98-का-3-13/90/98

प्रेषक,

डा0जी0सी0पाण्डे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4. प्रशासक, विघटित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 1998

विषय: अप्रेन्टिस शिक्षा पूर्ण करने के बाद शिक्षार्थियों को समायोजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या- 4347-59/1990 में दिये गये निर्णय दिनांक 12 जनवरी, 1995 द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यवाही करने के लिये शासन द्वारा पार्श्वांकित आदेश/ मार्ग निर्देशक सिद्धान्त निर्गत किये गये थे ।

1. सं0-बी.-1070/का-1/1996 दिनांक 12 सितम्बर, 1996
(प्रेषक- मुख्य सचिव, उ0प्र0 कार्मिक अनुभाग-1)
2. सं0 2818/36-1-97-131(बी)/97 दि0 3 जनवरी, 1998
(प्रेषक- मुख्य सचिव, उ0प्र0 श्रम अनुभाग-6)

उक्त पार्श्वांकित संदर्भित शासनादेशों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल मिस. रिट याचिका सं0-24909/98 अरूण कुमार सिंह बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.7.98 को दिये गये अपने निर्णय में पार्श्वांकित शासनादेश दिनांक 12.9.96 तथा 3.1.98 को मा0 उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के अन्तिम निर्णय तक स्थगित कर दिया है। अतः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूर्ण पीठ के इस प्रकरण पर अन्तिम निर्णय प्राप्त होने तक उपरोक्त शासनादेशों/ परिपत्रों का कार्यान्वयन स्थगित रखा जाय ।

भवदीय,

(डा0 जी0सी0 पाण्डे)
विशेष सचिव ।

क्रमशः 2

संख्याक– 3281/§1§/98–का–3–13/90/98 उक्त दिनाँकित ।

प्रतिलिपि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री हनुमान उपाध्याय, स्थायी अधिवक्ता के मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को सम्बोधित पत्र दिनाँक 28.7.98 के क्रम में सूचनार्थ, यह भी अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय रिट पिटीशन संख्या– 24909/98 , श्री अरुण कुमार सिंह बनाम उ०प्र० सरकार में पारित निर्णय के अनुपालन में शासन के परिपत्र 12.9.96 तथा 3.1.98 का कार्यान्वयन रोक दिया गया है । निर्णय में उल्लिखित परिपत्र संख्या– दिनाँक 4.9.96 द्वारा उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के स्तर से अप्रेन्टिस प्राप्त कर्ताओं के संबंध में सूचना माँगी गयी थी, चूँकि उक्त आयोग अब विघटित हो चुका है । अतः आयोग का परिपत्र दिनाँक 4.9.96 स्वतः ही प्रभावहीन हो गया है ।

आज्ञा से,

§ ए०पी०एन० द्विवेदी §
अनुसचिव ।